जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 13.11.2022

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 03 डोडा तस्कर गिरफ्तार , कब्जे से 19 किलो 650 ग्राम डोडा पाउडर , तस्करी मे प्रयुक्त 01 बुलट मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 13.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थ/शराब की बरामदगी के विरुद्ध अभियान के अनुपालन व अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में , प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना के नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग बैदखेडी तिराहे से एक बुलट मो0सा0 19 किलो 650 ग्राम डोडा पाउडर के साथ 03 डोडा तस्करो को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि उक्त डोडा पाउडर को हम लोग मध्य प्रदेश से लेकर आते है तथा उत्तर प्रदेश के शामली व आसपास के जिलो मे बेचकर मुनाफा कमाते है।

गिरफ्तार अभि0

1..आशीष पुत्र रणवीर सिंह नि0 ग्राम लपराना,थाना झिंझाना जनपद शामली।

2..उपेन्द्र पुत्र कदम नि0 ग्राम लपराना,थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.इमरान पुत्र गुलाबशाह नि0 ग्राम केरटू, थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी

1. 19.650 किलो ग्राम डोडा पाउडर।

2.एक बुलट मो0सा0 न0 यूपी-19एन-6746।

आपराधित इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1..मु0अ0स0 592/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट बनाम आशीष उपरोक्त

2..मु0अ0स0 593/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट बनाम उपेन्द्र उपरोक्त

3..मु0अ0स0 594/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट बनाम इमरान उपरोक्त

थाना कोतवाली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से ट्यूबवेल से चोरी किया तार, तार काटने के उपकरण तथा घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

दिनांक 12.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी के विरुद्ध एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सूचना पर ट्यूबवेल से तार चोरी की घटना में शामिल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से ट्यूबवैल से चोरी किया तांबे का तार , जले हुए केबिल के टुकडे , स्टार्टर के फिंगर, घटना मे प्रयुक्त मोटरसाकिल व तार काटने के उपकरण बरामद हुए है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तर तीनो अभियुक्तो द्वारा पूछताछ करने बताया गया कि ये तीनो लोग हरियाणा से यहां उत्तर प्रदेश मे आकर ट्यूबवैलो पर चोरी करते है तथा दिन में आकर ट्यूबवैलो को देख लेते है कि कहां चोरी करनी है। फिर रात में आकर ट्यूबवैलो में चोरी करते है तथा ट्यूबवैलो के चोरी केबिलो को जलाकर तांबे के तार निकाल लेते है दिन में यदि कोई इनसे पूछता है कि जंगल में क्या कर रहे हो तो कह देते है कि खरगोश का शिकार करने वाले है , इन तीनो द्वारा दिनांक 08.08.2022 को जंगल ग्राम सिम्भालका से 05 ट्यूबवैलो से बिजली के केबिल व कट आउट व स्टार्टर तोडकर ताबें का सामान चुरा लिया था तथा सितम्बर महीने में 15/16 की रात में करीब 8 ट्यूबवैलो जो जंगल ग्राम झाल, सिम्भालका, बरला जट, बलवा के जंगलो में थे चोरी की थी तथा नवम्बर महीने की पहली तारीख में इन तीनो ने जंगल ग्राम काबडौत व ग्राम लांक के जगलो से करीब 9 ट्यूबवैलो से बिजली के केबिल व कटाउट व स्टार्टर तोडकर उनके अन्दर के तांबे के सामान चोरी किये थे। चोरी के सारे माल को आसपास ईख के खेतो में छिपा देते है तथा मौका देखकर निकालकर ले जाते है। दिनांक 12.11.22 को शाम को उक्त तीनो चोरियो का माल कट्टो में भरकर मोटर साईकिल से बेचने ले जा रहे थे कि समय करीब 22.10 बजे रात्रि में पुलिस ने उक्त तीनो को चोरी के सामान सहित पकड लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.पूरन पुत्र प्रेमसिंह निवासी डवर की पार थाना कुंजपुरा जनपद करनाल हरियाणा।

2.चन्द्रभान पुत्र सिनकूराम निवासी डवर की पार थाना कुंजपुरा जनपद करनाल हरियाणा।

3.तेजभान पुत्र बन्नाराम निवासी डवर की पार थाना कुंजपुरा जनपद करनाल हरियाणा।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 362/22 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 539/22 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 461/22 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगीः-

1.तांबे का तार व जले हुए केबिल के टुकडे।

2.स्टार्टर के फिंगर, क्लिप एक प्लास व एक सुम्मी , एक पेचकस।

3.घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 बजाज प्लेटिना नं0 एचआर-05एपी-8830।

1098

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा युवती से कुकर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

दिनांक 12.10.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार जा रहे महिलाओं के साथ हो रहे अपराध एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा महिला से कुकर्म करने के मामले मे 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 12.10.2022 को पीडिता के साथ कुकर्म करने व अतिरिक्त दहेज की मांग करने के संबंध मे पीडिता के परिजनो द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गई दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. सलमान पुत्र फैजाब निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना कैराना शामली।